(3)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

223RTA2023-200(GCMS2023-413)

शंकर चौधरी पुत्र भैराराम जाति जाट
निवासी ग्राम धनारीखुर्द, तहसील बावडी
जिला जोधपुर

--- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. *सुखाराम पुत्र स्वरूपाराम जाट*
2. *पप्पुराम पुत्र स्वरूपाराम जाट*
3. *नैनाराम पुत्र स्वरूपाराम जाट*
4. *कानी पत्नी स्वरूपाराम जाट*
   निवासीगण ग्राम धनारीखुर्द
   तहसील बावडी, जिला जोधपुर
5. *भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावडी*
   जिला जोधपुर

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी दिनांक 25 अगस्त 2023 राजस्व वाद संख्या 78/2022 शंकर चौधरी बनाम सुखाराम आदि

—— 0 ——

उपस्थित -
श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
श्री ओमप्रकाश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 17 दिसम्बर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/2022 शंकर चौधरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम सुखाराम आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 अक्तूबर 2023 को पेश की है। साथ ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर विलम्ब क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट-वादी ने एक दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम धनारीखुर्द स्थित आराजी खसरा संख्या 42/1 रकबा 8 बीघा एवं खसरा संख्या 42/2 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि पूर्व में आराजी खसरा संख्या 42 रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में बारानी गैरमुमकिन दर्ज थी, जिस पर अपीलाण्ट के पिता का वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से निरन्तर कब्जा काश्त होने के कारण इस में से 8 बीघा भूमि का नियमन अपीलाण्ट के पिता के नाम किया गया जिसके अनुसरण में म्युटेशन संख्या 8 स्वीकृत हुआ, कब्जे काश्त की बताया 38 बीघा 07 बिस्वा भूमि का वर्ष 1977 में अपीलाण्ट के पिता के नाम नियमन किया गया, जिसका म्युटेशन संख्या 146 स्वीकृत हुआ। इस प्रकार खसरा संख्या 42 की कुल 46 बीघा 07 बिस्वा भूमि (हाल खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 42/1 व 42/2) अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में नियमन हुई। कालान्तर में वादी के पिता ने दिनांक 31 जनवरी 1972 को 8 बीघा भूमि का बेचान पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये केशरदेवी पुत्री मोतीराम जाट के पक्ष में कर दिया, केशरदेवी ने अपनी उक्त कयसुदा भूमि बाबत एक वसीयतनामा सहदेव के पक्ष में किया, केशरदेवी का देहावसान होने के बाद उक्त वसीयतनामा के आधार पर खसरा संख्या 42/1 रकबा 8 बीघा बाबत जरिये म्युटेशन सहदेव का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। अपीलाण्ट द्वारा सम्पत्ति के बंटवारे का दावा सिविल न्यायालय में अपने पिता के खिलाफ प्रस्तुत किया, जो दीवानी मूल वाद संख्या 57/06 दिनांक 18 अप्रेल 2007 को जरिये राजीनामा डिक्री हुआ। राजीनामा खसरा संख्यचा 42/1 व 42/2 की कुल 46 बीघा 07 बिस्वा भूमि का है। मगर राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि में से 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि बाबत रेस्पो. सुखाराम, पप्पुराम, नैनाराम पिसरान स्वरुपाराम व कानी पत्नी स्वरुपाराम का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि मौके पर प्रारम्भ से ही सम्पूर्ण 46 बीघा 07 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में अपने अधिकारों के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया, जो दिनांक 27 अगस्त 2019 को आंशिक तौर पर स्वीकार किया गया, जिसके खिलाफ रेस्पो. की ओर से अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 31 मार्च 2021 को स्वीकार की गयी। अदालत हाजा के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो अपील संख्या 3022/2021 दिनांक 30 सितम्बर 2022 के राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में मामला विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य हुए उक्त राजीनामा बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कोई विचार किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2023 पारित कर दिये गये। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य दिनांक 30 सितम्बर 2022 को हुए राजीनामा में यह स्वीकृत किया गया कि वक्त सेटलमेण्ट से कब्जे काश्त के आधार पर खसरा संख्या 42/1 रकबा 8 बीघा व खसरा संख्या 42/2 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा ग्राम धनारीखुर्द का नियमन अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में हुआ तथा रेस्पो. के कब्जा काश्त वाली भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा का आवण्टन कमेटी द्वारा रेस्पो. के पक्ष में आवण्टन किया गया है। मात्र राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश खसरा संख्या 17 की बजाय खसरा संख्या 42 राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 30 सितम्बर 2022 में इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन बाबत सहमति हुई और माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों एवं राजीनामा दिनांक 30 सितम्बर 2022 बाबत कोई विचार किये बिना ही अपीलाण्ट का दावा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज कर दिया गया, जो विधिसम्मतः नहीं है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि माननीय राजस्व मण्डल से प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने के बाद अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण बाबत विचारण न्यायालय में जानकारी करने पर हर बार यही बताया गया कि अभी निर्णय किया जाना बाकी है, इसी कम में दिनांक 29 सितम्बर 2023 को जानकारी करने पर विचारण न्यायालय में दिनांक 25 अगस्त 2023 को निर्णय हो जाना बताया गया। तब अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकलें आदि प्राप्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जानकारी की दिनांक 29 सितम्बर 2023 से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है, जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने लिखित बहस प्रस्तुत कर जाहिर किया कि खसरा संख्या 42 कुल रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा में से अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में 8 बीघा भूमि का नियमन किये जाने पर म्युटेशन संख्या 8 के जरिये उक्त नियमनसुदा भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दी गयी, जिसके बाद राजस्व रिकार्ड में 38 बीघा 07 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज रही। जिसके संबंध में कालान्तर में जरिये मिसल संख्या 856/1976 दिनांक 24 अक्तूबर 1977 को नियमन किया जाकर म्युटेशन संख्या 146 दिनांक 03 दिसम्बर 1978 स्वीकृत हुआ, मगर दिनांक 24 अक्तूबर 1977 को ही मिसल संख्या 787/1977 के जरिये खसरा संख्या 42 में से 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि का नियमन रेस्पो. के दादा जगराम राम के पक्ष में कर दिया गया, जबकि मिसल संख्या 856/1976 के दिनांक 24 अक्तूबर 1977 जरिये किये गये नियमन के बाद खसरा संख्या 42 का कोई रकबा शेष नहीं बचता है। वास्तव में रेस्पो. के दादा का कब्जा काश्त खसरा संख्या 17 की भूमि पर था और उक्त खसरे की भूमि बाबत ही रेस्पो. के दादा के पक्ष मे नियमन किया जाना था, मगर राजस्व कर्मचारियों की भूमि से खसरा संख्या 17 की बजाय खसरा संख्या 42 अंकित कर दिया गया। पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 30 सितम्बर 2022 में भी इसी अनुरूप सहमति बनी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में मूल वाद का निस्तारण किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रिमाण्ड किया गया। रेस्पो. का कब्जा काश्त खसरा संख्या 17 की 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर चला आ रहा है और समय-समय पर श्रम व धनराशि व्यय कर अपने कब्जे की भूमि का रेस्पो. द्वारा सुधार कर उसे उपयोगी एवं उपजाउ बनाया गया है और उक्त भूमि पर रेस्पो. के रहवासीय मकान आदि भी निर्मित है। अतः रेस्पो. के पक्ष में खसरा संख्या 42 की 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि की बजाय खसरा संख्या 17 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा वाके मौजा धनारीखुर्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन अपील/डिकी/टीए/2022/2021/जोधपुर अनवान शंकर चौधरी बनाम सुखाराम आदि विचाराधीन रहने के दौरान पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 30 सितम्बर 2022 के परिप्रेक्ष्य में मूल वाद का निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 13 अक्तूबर 2022 पारित करते हुए प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके अनुसरण में विचारण न्यायालय मूल वाद में कार्यवाही करते हुए पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 25 अगस्त 2023 मूल दावा एवं राजीनामा सारहीन मानते हुए खारिज किये गये है। उल्लेखनीय है कि उक्त राजीनामा में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत तथ्यों अर्थात ग्राम धनारीखुर्द के खसरा संख्या 42 की 46 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में 8 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि का नियमन 1963 में होने, उसके अनुसरण में म्युटेशन संख्या 8 दिनांक 12 जुलाई 1963 के जरिये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के बाद बकाया बचे रकबे 38 बीघा 07 बिस्वा का नियमन भी अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में जरिये मिसल संख्या 856/1976 दिनांक 24 अक्तूबर 1977 को नियमन किया जाकर म्युटेशन संख्या 146 दिनांक 03 दिसम्बर 1978 स्वीकृत होने और रेस्पो. के दादा का कब्जा काश्त खसरा संख्या 17 की भूमि पर था और उक्त खसरे की भूमि बाबत ही रेस्पो. के दादा जगराम राम (जिनका ग्राम धनारीखुर्द के खसरा संख्या 17 की 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर कब्जा था) के पक्ष मे दिनांक 24 अक्तूबर 1977 को ही मिसल संख्या 787/1977 के जरिये 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि के किये गये नियमन में राजस्व कर्मचारियों की भूल से खसरा संख्या 17 की बजाय खसरा संख्या 42 अंकित कर दिया जाना आदि के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 17 की 8 बीघा 02 बिस्वा भूमि बाबत रेस्पो. पक्ष के दादा के समय से वर्तमान तक कब्जे काश्त की स्थिति बाबत विधिवत दस्तावेजी साक्ष्य तलब कर समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष पारित नहीं किया गया है। इसके अलावा मूल वाद के पद संख्या 3 में वादी-अपीलाण्ट की ओर से अंकित तथ्यों अर्थात अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में नियमन हुई भूमि में से 8 बीघा भूमि का दिनांक 31 जनवरी 1972 को पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये बेचान कर दिये जाने बाबत भी विचारण न्यायालय द्वारा कोई विवेचन निष्कर्ष पारित नहीं किया गया है। जिससे अपीलाधीन निर्णय एक न्यायिक एवं परिपूर्ण निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट न्यायहित में अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अगस्त 2023 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर